भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2630

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

जल भंडारण क्षमता और इसका उपयोग

2630. श्री संजीव अरोड़ा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के जलाशयों और बांधों की कुल जल भंडारण क्षमता कितनी है और वर्तमान में इसमें से कितनी क्षमता का उपयोग सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 2030 तक देश में जल भंडारण की अनुमानित मांग कितनी होगी और सरकार की वर्तमान भंडारण क्षमता और भावी आवश्यकताओं के बीच के अंतर को किस प्रकार पाटने की योजना है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान नई जल भंडारण अवसंरचना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और राष्ट्रीय जल भंडारण मिशन के अंतर्गत भंडारण क्षमता में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संकलित बड़े (निर्दिष्ट) बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर 2023 के अनुसार, देश में बड़े बांधों के माध्यम से 250.64 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित की गई है, जिसका उपयोग वर्तमान में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत उत्पादन आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

(ख): राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) की रिपोर्ट (1999) के अनुसार, उच्च मांग परिदृश्य के लिए देश की कुल जल आवश्यकता वर्ष 2025 और 2050 तक क्रमशः 843 बीसीएम और 1180 बीसीएम होगी।

जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर); अटल भूजल योजना; नदियों का आपस में जोड़ना, 'सही फसल' अभियान; जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर); बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी), जल जीवन मिशन (जेजेएम), पोलावरम परियोजना जैसी नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन आदि जैसी विभिन्न पहल की हैं।

(ग): जल राज्य का विषय है, इसलिए जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, वित्तपोषण, क्रियान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारें स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार करती हैं। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई के एआईबीपी के अंतर्गत, निन्यानबे (99) चल रही प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरणों) को चरणों में पूरा करने के लिए पहचान की गई थी। इन परियोजनाओं का कुल सक्रिय भंडारण 37.19 बीसीएम है। इसके अलावा, मार्च, 2021 के बाद पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 9 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। सभी परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं और नई पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के माध्यम से 0.31 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत सक्रिय भंडारण 614.63 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) है। अप्रैल, 2016 से अभी तक, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 18,075 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

*****